**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्‍चतर शिक्षा विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1141**

उत्‍तर देने की तारीख: 16.12.2013

**एन॰ई॰टी॰ की प्रभावोत्पादकता**

**1141. डॉ॰ जनार्दन वाघमरेः**

 **श्री एन॰ के॰ सिंहः**

 क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) शिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए एक प्रभावी तंत्र है, एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और ऐसी सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या स्कूल/कॉलेज स्तरों पर प्रशिक्षित तथा अनुभवी शिक्षकों/प्रोफेसरों की कमी होने के कारण शिक्षा प्रणाली प्रभावित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. शशि थरूर)**

**(क) :** जी, हां।

**(ख) :** समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत नहीं की है।

**(ग) और (घ) :** यह सुनिश्‍चित करने के लिए कि अध्‍यापन व्‍यवसाय में अप्रशिक्षित और अनुभवहीन शिक्षकों की भर्ती न की जाए, उच्‍च शिक्षण संस्‍थाओं में भर्ती हेतु राष्‍ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) (एनईटी) में अर्हता प्राप्‍त करना अनिवार्य कर दिया गया है। अध्‍यापन पदों पर भर्ती के लिए राष्‍ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में अर्हता प्राप्‍त करने की शर्त विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 (विश्‍वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों तथा अन्‍य अकादमिक स्‍टाफ की नियुक्‍ति हेतु न्‍यूनतम अर्हता और उच्‍चतर शिक्षा में मानदंडों के अनुरक्षण हेतु उपाय) में निर्धारित अन्‍य न्‍यूनतम अर्हताओं के अतिरिक्‍त है। ये विनियम [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in) पर उपलब्‍ध हैं। प्रारंभिक स्‍कूलों में शिक्षकों की नियुक्‍ति हेतु भी केन्‍द्रीय सरकार ने केन्‍द्रीय अध्‍यापक पात्रता परीक्षा (सीटेट) (सीटीईटी) अथवा राज्‍य अध्‍यापक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) को अनिवार्य बना दिया है।

\*\*\*\*\*